



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-74/JH/6/2021-RO-RNC (ESDW)

दिनांक: 15.02.2023

सेवा में,

श्री अरुण मुण्डा,
ग्राम-मौजा बोंगावार, पोस्ट- भरेचनगर (सांडी),
थाना-मांडू (कुजू),
जिला-रामगढ़,
झारखण्ड -829202,


विषय: मौजा बोंगावार, थाना-माण्डू, जिला रामगढ़ स्थित अनुसूचित जनजाति की जमीन के थाना न०- 153, खाता न० 192, प्लॉट न० 1560 के रकवा- 57 डी० एवं प्लॉट न० 1563 के रकवा- 58 डी० को मिलाकर कुल रकवा 1.15 एकड़ भूमि को वन प्रमण्डल, राँची रोड, मरार, रामगढ़ द्वारा जबरन अधिग्रहण किये जाने और उक्त भूमि को वापस दिलाने के सम्बन्ध में श्री अरुण मुण्डा, मौजा बोंगावार, पोस्ट- भरेचनगर (सांडी), जिला-रामगढ़, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 22.02.2023 को अपराह्न: 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान आधिकारी

